न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 77 / 2025 अपील (GCMS 2025/89)
पंजीयन दिनांक– 26 / 03 / 2025

रूपा मीणा पिता बदा तबीयाड मीणा, निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर

– अपीलांट

बनाम

1. जीवतराम पिता बदा तबीयाड मीणा, निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर
2. सविता पत्नि स्व. शान्तिलाल तबीयाड मीणा, निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर
3. लता पुत्री स्व. शान्तिलाल तबीयाड मीणा, निवासी चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर

– रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मेन्द्र गहलोत – वकील अपीलांट
2. श्री लक्ष्मीलाल जैन – वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 51 / 2024
दिनांक 03.03.2025

निर्णय

दिनांकः 29 / 04 / 2026

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम – 1956, की धारा–76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 51 / 2024 निर्णय दिनांक 03.03.2025 के विरूद्ध पेश की गयी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चुण्डावाडा, तहसील बिछीवाड़ा स्थित अपीलांट व रेस्पोडेंट की स्थित खातेदारी की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3051 दिनांक 27.01.2007 को तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा खोला गया। इस नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 03.03.2025 को खारिज की गई। इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि का कभी बटवाड़ा नहीं हुआ न ही कोई डिक्री जारी हुई है। शिविर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी द्वारा मिथ्या रिपोर्ट बनाई जाकर दिनांक 23.01.2007 को मिथ्या बटवाड़ा के दस्तावेज तैयार किये गये जिसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया। कब्जे की भी जांच नहीं की गई। पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। मिथ्या लिखतम 30/– के स्टॉम्प पर निष्पादित की गई, जिसकी प्रति भी अपीलांट को उपलब्ध नहीं करवायी। अपीलांट ने बटवाड़े के किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये। नामान्तरकरण खोलने से पूर्व अपीलांट को नहीं सुना गया। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर जो 100/– से कम का है, उस पर की गई लिखापढ़ी शुन्य है। इसके आधार पर कोई नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी विधि के विरूद्ध निर्णय पारित कर भूल की है। अंत में अपने पक्ष में आर.आर.डी. 14.09.2011 पेज 616, आर.आर.डी. 1976 पेज 184, आर.आर.टी. 2018–19 (Supp.) पेज 145, पेश करते हुए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 का कथन है कि नामान्तरकरण नियमानुसार खोला गया है। बटवाड़े का दावा किया गया था जो विड्रो इसी सहमति के विभाजन के आधार पर विड्रो कर लिया गया तथा अपीलांट स्वयं ने सहमति बटवाडे पर अपने हस्ताक्षर किये है जिसे करीब 15 वर्ष हो चुके है। तहसीलदार द्वारा उक्त सहमति बटवाडे के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग अमल दरामद किया गया है उसी सहमति बटवाडे के आधार पर सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छुपाकर बिना किसी आधार के उक्त अपील प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट की अपील तथ्यहीन होकर खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, जिससे अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा सहखातेदारान के साथ बंटवाड़े का दावा आपसी सहमति से विड्रॉ करते हुए राजस्व अभियान–2007 में आपसी रजामन्दी से सहमति का विभाजन निष्पादित करवाकर राजस्व रेकार्ड में तद्नुसार इन्द्राज जनवरी, 2007 में करवाया गया। तत्पश्चात उपरोक्त कार्यवाही के लगभग सत्रह वर्ष पश्चात अभियान में की गई कार्यवाही का अपीलार्थी श्री रूपा मीणा द्वारा आक्षेपित करते हुए दिनांक 03.04.2024 को प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर न्यायालय में दर्ज किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि राजस्व अभियान–2007 के दौरान अपीलार्थी श्री रूपा मीणा की उपस्थिति व हस्ताक्षर आपसी सहमति से विभाजन के प्रार्थना पत्र, पर्चा मौका व विभाजन पत्रक सभी पर उपलब्ध होना अभिलेख से स्पष्ट है। उसके बाद 17 वर्ष के अन्तराल के बाद अभियान में रजामन्दी से सम्पूरित कार्यवाही जो विभाजन के दावे को विड्रॉ करने पश्चात की गई थी, को मात्र एक खातेदार

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

श्री रूपा मीणा आक्षेपित किया जाकर प्रक्रियात्मक कमी बताते हुए पुनः प्रकरण को खोले जाने का अनुरोध उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त परिदृश्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर पोषणीय नहीं पाई जाने से अस्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2025 बहाल रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
सभागीय आयुक्त
उदयपुर